न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रं0– /2011/निगरानी R-1528-I/2011

1. पूरन प्रसाद
2. राममिलन पुत्र पंचम प्रसाद, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–कस्वा रौन तहसील रौन जिला भिण्ड (म0प्र0)

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र पंचम प्रसाद, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–कस्वा रौन तहसील रौन परगना लहार जिला भिण्ड (म0प्र0)
2. सचिव ग्राम पंचायत रौन जिला भिण्ड (म0प्र0)

---रेस्पोडेन्ट्स

<u>निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.11 पारित न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u>

<u>प्रकरण क्रमांक–69/10–11 अपील</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1– यहकि, मौजा ग्राम रौन के भूमि सर्वे क्रमांक–1665, 1566, 1586/3, 1605, 1726, 1727, 1728, 1768, 1773, कुल किता 9 कुल रकवा 2.467 हैक्टर लगान 25/–रूपये इसी मौजा में अन्य आराजी सर्वे क्रमांक–1689, 1690, 1724 किता 3 कुल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1528/एक/2011 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–1–17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 69/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने ग्राम पंचायत रौन के समक्ष शामिल खाते की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1665 रकवा 0.689 है0 एवं सर्वे क्रमांक 1726 रकवा 0.021 है0, सर्वे क्रमांक 1727 रकवा 0.31 है0, सर्वे क्रमांक 1728 रकवा 0.084 है, सर्वे क्रमांक 1768 रकवा 0.481 है0, सर्वे क्रमांक 1773 रकवा 0.063 है0, सर्वे क्रमांक 1689 रकवा 0.010 है0, सर्वे क्रमांक 1690 रकवा 0.345 है0, सव्रे क्रमांक 724 रकवा 0.80 है0, सर्वे क्रमांक 2885 रकवा 0.793 है0 भूमि का मुताबिक फर्द बंटवारा सहमति के आधार पर किये जाने का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत रौन के समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत रौन ने ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3 दिनांक 15.08.2007 को मुताबित फर्द बंटवारा सर्व सहमति से स्वीकार किया। इसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी लहार के न्यायालय में प्रस्तुत की गयीं। जो आदेश दिनांक 10.02.2010 से अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गयीं। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयीं जो पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 से स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण उभय पक्ष को सूचना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये करें। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयीं।	

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में समझौता आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है इसी भूमि के संबंध में सिविल वाद क्रमांक 361 ए/04 इ.दी. द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग–1 लहार के न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत को बंटवारा आदेश पारित करने की अधिकारिता है ऐसी स्थिति में जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किया गया है त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाये एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित करना बताया गया है जबकि वह सेना में होकर डुयूटी पर था ऐसी स्थिति उसके उपस्थित होने और सहमति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है, जब प्रकरण दीवानी न्यायालय में चल रहा था ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय को प्रकरण में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उनकी अपील को बिना किसी कारण के परिसीमा के बिन्दु पर अमान्य किया गया है। जबकि न्यायालय को परिसीमा के बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त स्थितियो पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है अंत में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षो द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो

के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रौन जिला भिण्ड द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3 से जो बंटवारा आदेश पारित किया गया है, उसपर किसी भी पक्ष के सहमति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में सहमति से पारित आदेश नहीं माना जा सकता इसके अलावा ग्राम पंचायत रौन के समक्ष प्रस्तुत की गयी फर्दो पर अनावेदक क्रमांक 1 के हस्ताक्षर नहीं है। क्योंकि वह सेना में सेवारत कर्मचारी है। और उसकी ड्युटी आदेश पारित किये जाने दिनांक को सीमा पर थी। ऐसी स्थिति में उसके उपस्थिति होने पर प्रश्न ही नहीं है। उपरोक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में भी ग्राम पंचायत को बंटवारा/नामान्तरण करने की अधिकारिता ही नहीं थी। ग्राम पंचायतो को केवल अविवादित नामान्तरण/बंटवारा करने की अधिकारिता है न कि विवादित प्रकरणो में जब इसी भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में पूर्व से मामला लंम्बित था। तब ऐसी स्थिति में विवादित बंटवारा करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नही थी। ऐसी स्थिति में जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसमे हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य